

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश )

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

(060) किशनगढ़बास विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण, मैं, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री दीपचन्द (नाम) ग्राम :- जाटका, पोस्ट :- माहुन्द, तहसील:- किशनगढ़बास, जिला:- अलवर (पता) [ जो बहुजन समाज पार्टी (मान्यताप्राप्त / रजिष्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खडा किया गया] को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है ।



महेन्द्र सिंह

रिटर्निंग अधिकारी

स्थान :- अलवर

दिनांक:- 11.12.2018

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास

060, किशनगढ़बास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

**Conduct of Election Rules, 1961**

(Statutory Rules Order)

**FORM 21C**

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

**\*Election to the legislative Assembly of Rajasthan State from 060-KISHANGARHBAS  
Assembly Constituency .**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Deepchand (Name) VILLAGE: JATKA, POST :- MAHUND, TEHSIL : -KISHANGARHBAS, DISTT : ALWAR (Address) [sponsored by BAHUJAN SAMAJ PARTY (Recognized/Registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

**Mahendra Singh**

**Returning officer**

**Subdivisional Officer & Subdivisional**

**Magistrate Kishangarhbas**

(060) kishangarhbas Assembly Constituency

**Place : Alwar**

**Date : 11-12-2018**